ऑन लाईन नं.RCMS2022/288

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 30 / 2022

श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता निवासी 4–सी–8, जवाहरनगर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर। **–खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक–**
   मै0 अनिल एण्ड कम्पनी, नोहरा नम्बर 111, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, –मालिक–
   मैसर्स:– शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, मोहन नगर, किलीअनवाली रोड़, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2) / 52

निर्णय दिनांक : 06.01.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमे क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08. 2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक 308 दिनांक 04.09. 2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.06.2022 को दोपहर बाद 5.00 पीएम पर **मै0** अनिल एण्ड कम्पनी, नोहरा नम्बर 111, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानग पर पहुचें। वहा अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता निवासी 4 सी 8, जवाहरनगर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस, एवं अन्य दस्तावेजों स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल (आर.पी.)** जो कि आपकी संस्थान मे लकड़ी की रैक मे 8 बोतल **सरसों का तेल (आर.पी.)** प्रत्येक 500 एमएल आम जनता को विक्रय हेतु रखा था के अमानक का शक होने पर 4 बोतल प्रत्येक 500 एमएल **सरसों का तेल (आर.पी.)** खाद्यकारोबारकर्ता श्री अनिल गुप्ता को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जाच खरीदा, जिसकी कीमत श्री रविरतन सेतिया को 300/ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री अनिल गुप्ता को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल (आर.पी.) 4 बोतल प्रत्येक 500 एमएल** के चारो नमूना भागो पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुकमांक **K-1515** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुकमांक **K-1515** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एव स्वयं संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अनिल गुप्ता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एव शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर (राज.)

ऑनलाईन नं.RCMS2022/288

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/724/एक्ट/2022/724 दिनांक 23.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1515 सरसों का तेल (आर.पी.) अमानक स्तर** Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अनिल गुप्ता पुत्र श्री हंसराज गुप्ता निवासी 4–सी–8 जवाहरनगर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों का तेल (आर.पी.)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान किलयावाली रोड मोहननगर अबोहर, फाजिल्का पंजाब का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में की जांच की गई तो **Mustard oil (RP)** Misbranded Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त **Mustard oil (RP)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षो को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों का तेल (आर.पी.)** का सैम्पल **के–1515** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/724/एक्ट/2022/724 दिनांक 23.06.2022 द्वारा Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/52 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब मे वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान किलयावाली रोड मोहननगर अबोहर, फाजिल्का पंजाब का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान में की जांच की गई तो **Mustard oil (RP)** Misbranded Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त **Mustard oil (RP)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Mustard oil (RP)**"Code No and Sr. No. K-1514 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000-00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **सरसों का तेल (आर.पी.)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **सरसों का तेल (आर.पी.)** के लिए उच्च गुणवता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर